

प्रेस नोट जनपद बलिया

दिनांक:- 06.09.2021

थाना रसड़ा व SOG की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल नं0- UP60AF0355 व 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 01 अदद नाजायज चाकू बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री राज करन नय्यर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रसड़ा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना रसड़ा के *प्र0नि0 श्री नागेश उपाध्याय* के कुशल नेतृत्व में उनकी पुलिस टीम के उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, उ0नि0 अखिलेश मौर्य, मय फोर्स व SOG टीम द्वारा *02 अभियुक्तों 1. मुकेश यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्रा0 मु0 चक हुसाम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर 2. सत्येन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 कैलाश यादव निवासी चकहुसाम थाना कोतवाली गाजीपुर* को दिनांक 05.09.2021 को नीबू चट्टी के पास से समय करीब 20.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी की हुई मोटर साइकिल नं0- UP60AF0355 जो थाना रसड़ा पर पंजीकृत मुअ0स0 252/21 धारा 379 भादवि सम्बन्धित है तथा 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना रसड़ा द्वारा वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ अभियुक्त:- पूछताछ करने पर पर दोनो अभियुक्तों ने बताया की हम दोनो क्षेत्र मे गाड़ी चुराकर उसपर फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर ऊचे दामो मे बेच देते है तथा पुलिस वालो को भी चकमा दे देते हैं।

नोट:- दिनांक 25.08.2021 को वादी मुकदमा श्री ज्योति प्रकाश रमन पुत्र अशोक कुमार सा0 टीका देवरी थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया मो0नं0 8948587245 थाना रसड़ा पर आकर अपनी मो0सा0 के चोरी के संबन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था जिस संबन्ध में रसड़ा पुलिस व SOG टीम द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर सफलतापूर्वक वाहन की बरामदगी करते हुए मुकदमे का अनावरण किया गया।

संबन्धित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0- 252/21 धारा 379 भादवि थाना रसड़ा बलिया। (बढ़ोत्तरी धारा 411,420,467,468,471 भादवि)

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 272/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा बलिया। बनाम मुकेश यादव
2. मु0अ0सं0 273/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा बलिया। बनाम सत्येन्द्र सिंह यादव

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मुकेश यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्रा0 मु0 चक हुसाम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

2. सत्येन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 कैलाश यादव निवासी चकहुसाम थाना कोतवाली गाजीपुर

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक/समय:-

स्थान- नीबू चट्टी, दिनांक-05.09.21 समय:- 20.05

बरामदगी:-

1. 01 अदद मोटर साइकिल नं0 UP60AF0355 (चोरी की हुई)
2. 01 अदद तमंचा .315 बोर (बकब्जा अभि0 मुकेश यादव)
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर (बकब्जा अभि0 मुकेश यादव)
4. 01 अदद चाकू (बकब्जा अभि0 सत्येन्द्र सिंह)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर सिंह थाना रसड़ा बलिया ।
2. उ0नि0 श्री अखिलेश मौर्य थाना रसड़ा बलिया ।
3. हे0का0 अनूप सिंह SOG टीम बलिया ।
4. मु0आ0 मनसुख यादव थाना रसड़ा बलिया ।
5. का0 रोहित यादव सर्विलांस टीम बलिया ।
6. का0 श्रवण यादव थाना रसड़ा बलिया ।
7. का0 सुधेन्दु तिवारी थाना रसड़ा बलिया ।

सोशल मीडिया सेल

बलिया पुलिस

थाना कोतवाली-रसड़ा

जनपद - बलिया



थानाकोतवाली-रसड़ा

जनपद - बलिया



थाना कोतवाली रसड़ा

जनपद - बलिया

